

// निर्णय //

SUM 204/22

अभियुक्तगण

(आज दिनांक 2.11.22 को घोषित किया गया)

- ① परबोत्तम शं. सतोष राय - 27 वर्ष
② गजराज शं. लालन राजपूत - 40 वर्ष
③ सुरेशचंद शं. गुलाब जैन - 52 वर्ष
④ सतोष शं. मोहन साहू - 55 वर्ष
⑤ शैलव हलीम शं. शैलम - 22 वर्ष 36 वर्ष रि. सभी केवलपारी
- द्वारा स्वैच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्तगण को सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दोष सिद्ध ठहराया जाता है तथा अभियुक्तगण द्वारा स्वैच्छया अपराध स्वीकारोक्ती के आधार पर उसे सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दोष सिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति के अनुसार अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

// दण्डादेश //

अभियुक्तगण द्वारा स्वैच्छया अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे सार्वजनिक द्युत अधिनियम की धारा-13 के तहत दोषी पाये जाकर 100-100 के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण को 07-07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति

52 लाख 4 हजार 500 रुपये नगद राजसात किये जावे एवं मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे।

स्थान:- पथरिया

दिनांक:- 2.11.22

मेरे निर्देश पर टंकित।

Samay
राजेंद्र बर्मन

2/11/22
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पथरिया, जिला-दमोह (म.प्र.)